उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 1948/XXX(2)/2004
देहरादून: दिनांक: 15 जनवरी, 2005

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान विनियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग, समूह 'घ' सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग, समूह 'घ' कर्मचारी सेवा विनियमावली, 2004

भाग एक
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–
   (1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक सेवा आयोग, समूह 'घ' कर्मचारी सेवा विनियमावली, 2004 कहलाएगी ।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं– जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस विनियमावली में–
   (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य सचिव, लोक सेवा आयोग से है;
   (ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,
   (ग) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
   (घ) 'अधिष्ठान' का तात्पर्य समूह 'घ' के उस अधिष्ठान से है, जिसके अन्तर्गत पद हों;
   (ड.) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;
   (च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
   (छ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
   (ज) 'छंटनी किया गया कर्मचारी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है:
      (एक) जो राज्यपाल की नियम/विनियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए, जिसमें कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो; और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है ।

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो
संवर्ग

3. <u>सेवा की सदस्य संख्या–</u> किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह 'घ' के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय;

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड सकते हैं या राज्यपाल उन्हें आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

परन्तु यह और कि सरकार का प्रशारानिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से किसी अधिष्ठान में ऐसे स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकता है, जो आवश्यक समझे जायं ।

भाग तीन
भर्ती

4. <u>भर्ती का स्रोत–</u> समूह 'घ' के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगा:–

(क) अनुसेवक — सीधी भर्ती

(ख) दफ्तरी — अर्ह अनुसेवकों में से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर, जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिए कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग चार
अर्हता

5. आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा ।

6. राष्ट्रीयता– समूह 'घ' के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, जिसका नाम उत्तरांचल राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो ।

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा(म्यांमार),श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश – केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) व (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण– पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर शाखा, उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण – पत्र प्राप्त कर ले ,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण –पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

7. आयु– समूह 'घ' के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए । परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन– जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये ।

8. शैक्षिक अर्हतायें –

(1) अनुरेखक के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

(2) कोई व्यक्ति तब तक दफ्तरी के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो ।

(3) समूह 'घ' के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साईकिल चलाना जानता हो :
परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी ।

(4) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो ।

9. चरित्र –सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर ले ।

टिप्पणी – राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

10. वैवाहिक प्रास्थिति – अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो, परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

11. शारीरिक स्वस्थता – किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे ।

भाग पांच
भर्ती प्रकिया

12. चयन समिति का गठन– किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी–अध्यक्ष

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का न हो तो अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी । यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, तो अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का न हो–सदस्य

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछड़े वर्ग का । यदि आयोग में ऐसा कोई उपयुक्त अधिकारी न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा–सदस्य

13. भर्ती प्रतिवर्ष की जायेगी – इस विनियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

14. चयन की प्रकिया –

(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए सभी श्रेणी के पदों की संख्या दर्शाते हुए आवेदन पत्र का प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका राज्य की सीमा के अन्तर्गत व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराया हो, राज्य के समस्त सेवायोजन कार्यालयों से भी के नाम आमंत्रित किये जायेंगे । इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस भी चिपकायेंगे । ऐसे समस्त आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे ।

(2) सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त होने पर चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन करेगी ।

(3) चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की होगी। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक दिये जायेंगे । किसी अभ्यर्थी द्वारा

साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक, चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंको के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे ।

(4) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिये निम्नलिखित रीति से अंक देगी:–

(एक) प्रथम एक वर्ष की पूरी सेवा के लिये ... 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिये ... 5 अंक

परन्तु छंटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उप–नियम के अधीन दिये जाने वाले अधिकतम अंक 15 से अधिक नहीं होंगे ।

(5) चयन किये जाने वाले अयर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया है, संख्या से अधिक(किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे ।

15. सामान्य सूची– चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में कमबद्ध करेगा ।

प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची से नाम होगा और इसी प्रकार आगे भी । इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी ।

16. पदोन्नति की प्रकिया–

(1) सभी पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी ।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से,विभागीय चयन समिति द्वारा चयन करके की जायेगी । विभागीय चयन समिति का गठन, जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा ।

भाग छः
नियुक्ति,परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17. नियुक्ति–

(1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 18 या 19 के अधीन तैयार की गयी अभिर्थियों की सूची में नियुक्तियां उसी कम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उप –नियम(1) में निर्दिष्ट रीति से नियुक्ति करेंगे ।

18. परिवीक्षा–

(1) अधिष्ठान में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परिवीक्षा – अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिये की जा सकती है ।

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु यह भी कि परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं बढायी जायेगी ।

(2) यदि परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा–अवधि के दौरान या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उस पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं, जिससे वह किसी दशा में प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

19. स्थायीकरण– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये ।

20. ज्येष्ठता–

(1) एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायें तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु, सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की युक्तियुक्तिता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी ।

भाग सात
वेतन इत्यादि

21. वेतनमान–

(1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान निम्नलिखित हैं:–

पद का नाम	वेतनमान
(क) अनुसेवक	2550–55–2660–60–3200 रूपया
(ग) दफ्तरी	2610–60–3150–65–3560 रूपया

22. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय–मान में प्रथम वेतन–वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग आठ
अन्य उपबन्ध

23. पक्ष समर्थन– किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

24. अन्य विषयों का विनियमन– ऐसे विषय के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

25. सेवा शर्तों में शिथिलता– यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि अधिष्ठानमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस सीमा और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नेपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No1948/XXX(2)/2004-55(39)/2004 Dated-15-01-05

Government of Uttaranchal
Karmic Anubhag-2
No1948/XXX(2)/2004-55(39)/2004
Dated: Dehradun15-01-2005

Notification
Miscellaneous

UTTARANCHAL PUBLIC SERVICE COMMISSION GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE RULES, 2004

In exercise of the powers conferred by the Article 318(b) of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment to certain categories of Group 'D' posts, and the conditions of service of the persons appointed to such posts in the various departments of the Government of Uttaranchal.

PART I-- GENERAL

1. **Short title and commencement-**

(1) These rules may be called the Uttaranchal Public Service Commission, Group 'D' Employees Service Rules. 2004.

(2) They shall come into force at-once.

2. **Definitions**- In these rules unless the context otherwise require--

(a) "Appointing Authority" means Secretary, Public Service Commission.

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution:

(c) "Constitution" means the Constitution of India:

(d) "Establishment" means the Group 'D' Establishment on which the posts are borne:

(e) "Government" means the Government of Uttaranchal

(f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal :

(g) "Commission" means Uttaranchal Public Service Commission;

(h) "Retrenched employee" means a person-

(i) who was employed on a post under the rule-making power of the Governor in permanent, temporary officiating capacity for a total minimum period of one year, out of which at least three months service must have been continuous service:

(ii) whose services were or may be dispensed with due to reduction in or winding up of the establishment: and

(iii) in respect of whom a certificate of being a retrenched employee has been issued by the appointing authority;

but does not include a person employed on adhoc basis only.

(j) "Year of Recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II-- CADRE

3. Strength of service.- The strength of Group 'D' Establishment in a particular Department/Office and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time:

Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any post or class of post without thereby entitling any person to compensation:

Provided further that the Government in the Administrative Department may, in consultation with the Personnel Department and the Finance Department, create such

permanent or temporary posts in any establishment from time to time as may be found necessary;

PART III-- RECRUITMENT

4. **Sources of Recruitment.--** The sources of recruitment to the various categories of Group 'D' posts shall be as follows:

(a) Peon	By direct recruitment
(b Daftri	By promotion from amongst qualified peons.

Provided that if no eligible/suitable candidate is available for promotion to a particular post which is required to be filled by promotion, the post may be filled by direct recruitment.

PART IV-- QUALIFICATIONS

5. **Reservation.--** Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

6. **Nationality.--** A candidate for recruitment to Group 'D' post must be-

(a) citizen of India whose name is registered in any employment office of Uttaranchal State.

(b) a Tibetan refugee who came over to India before January 1. 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma (Myanmar) Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic or Tanzania. (Formerly known as Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector-General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such candidate can be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian Citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to interview and may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

7. Age.- A candidate for direct recruitment to a Group 'D' post must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 35 years on the first day of July of the year of recruitment:

Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

8. Academic qualifications.--

(1) A candidate for recruitment to the post of peon must have passed atleast Class V. examination.

(2) No person shall be eligible for appointment as Daftri, unless he is found to possess requisite knowledge and good experience of book-binding work.

(3) A candidate for recruitment to each category of Group 'D' post must know cycling:

Provided that this condition shall not be applicable to female candidates.

(4) A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment to the establishment.

9. Character.-- The character of a candidate for direct recruitment must be such as to render him suitable in all respects for employment in the establishment. It shall be the duty of the appointing authority to satisfy himself on this point.

NOTE.-- Persons dismissed by the State Government or the Union Government or by a Local Authority or a Corporation or a Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be deemed ineligible for appointment to a post in the Establishment. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

10. Marital status.-- A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to the Establishment:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

11. Physical fitness.-- No candidate shall be appointed to the Establishment unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment by direct recruitment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Hand Book. Volume II. Part III.

PART V -- RECRUITMENT PROCEDURE

12. Constitution of Selection Committee.-- For the purpose of recruitment to any post, there shall be constituted a Selection Committee, as follows:

(1) Appointing Authority- Chairman

(2) An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, nominated by the Chairman, Public Service Commission, if the appointing authority does not belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. If the appointing authority belongs to Scheduled Castes / Scheduled Tribes and Back-ward Classes an officer other than belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes or other Backward Classes shall be nominated by the Chairman, Public Service Commission - member

(3) Two officers nominated by the appointing authority, one of belonging to minority community and the other to backward class. If such suitable officers are not available in the Commission such officers shall, on the request of the appointing authority, be nominated by the Chairman, Public Service Commission- member

13. Recruitment to be made every year.-- Selection for recruitment under these rules shall be made every year or as and when necessary.

14. Procedure for Selection.--

(1) The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes / Scheduled Tribes and other categories. For direct recruitment, appointing authority shall advertise the number of posts of each category and the form of application in two newspapers having vide circulation in the State. He shall also invite names from all the employment exchanges in the State of such condidates who have registered their names in the Employment Exchange For this purpose he shall also paste a notice on the notice board of the Commission.

All such applications shall be placed before the Selection Committee.

(2) After the names of general candidates and those belonging to Reserve Category (for whom vacancies are required to be reserved under the orders of the Government) have been received by the Selection Committee, it shall interview and select the candidates for various posts.

(3) The marks for the interview will be 100. Marks at the interview shall be awarded by the Chairman and all other Members separately. The total marks obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the Chairman and all the Members of the Selection Committee, separately.

(4) In making selection, the Selection Committee shall give weight age to the retrenched employees, awarding marks in the following manner:

(i) For the first complete year: 5 marks

(ii) For the next and every completed year of service: 5 marks

Provided that the maximum marks awarded to a retrenched employee under this sub-rule shall not exceed. 15 marks

(5) The number of the candidates to be selected will be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies for which the selection has been made. The names in the select list shall be arranged according to the marks awarded at the interview.]

15. Common list.-- After the names of both general and reserve category selected candidates have been received, the appointing authority shall arrange them in a common list. The first name to be from the list of the general candidates followed by the name of the reserve category candidate and so on. The select list so prepared shall hold good for a period of one year from the date of selection.

16. Procedure for promotion.--

(1) Criterion of promotion in respect of all the posts shall be seniority, subject to the rejection of the unfit.

(2) Promotions shall be made within the same establishment from amongst eligible candidates through selection by the Departmental Selection Committee. The constitution of the Departmental Selection Committee, which shall consist of three members, shall be in accordance with the orders of Head of the Department.

PART VI - APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

17. Appointment-

(1) On the occurrence of substantive vacancies the appointing authority shall make appointments from the list of candidates prepared under Rule 18 or Rule 19, as the case may be, in the order in which their names appear in the list.

(2) The appointing authority shall also make appointment in officiating and temporary vacancies from the said list and in the manner referred to in sub-rule (1).

(3) When the list of selected candidates is exhausted or no candidate is available for appointment from the list of the selected candidates, adhoc appointments may be made by the appointing authority from amongst the eligible candidates:

Provided that such appointment shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever is earlier.

18. Probation.--

(1) A person on appointment to a post in the establishment in a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one year:

Provided that continuous service rendered in a officiating or temporary capacity in a post borne on the Establishment may be

taken into account in computing the period of probation for that post:

Provided further that the appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided also that the period of probation shall not be extended beyond one year.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to a post, on which he holds a lien or if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with without entitling him to any compensation in either case.

19. Confirmation.-- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct have been found to be satisfactory, the appointing authority considers him fit for confirmation and his integrity is certified.

20. Seniority.--

(1) Except as hereinafter provided the seniority of persons in any category of post shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specified a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

(2) The inter-se seniority of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee.

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The inter-se seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

PART VII PAY ETC.

21. Scale of pay.--

(1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Establishment, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as follows:

(a) Peon.	Rs. 2550-55-2660-60-3200
(b) Daftri	Rs. 2610-60-3150-65-3560

22. Pay during probation.-

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a persons on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory services and the second increment after he is confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rues, applicable to government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII-- OTHER PROVISIONS

23. Canvassing.- No recommendations, either written or oral, other than those required under these rules, applicable to the post or service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

24. Regulation of other matters.-- In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special order, persons appointed to the establishment shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

25. Relaxation from conditions of service.- If the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Establishment causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extend and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case, in a just and equitable manner.

By order,

(Nrip Singh Napalchiyal)
Principal Secretary